भारत सरकार

GOVERNMENT OF INDIA



असाधारण

EXTRAORDINARY प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 147]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 22, 2016/आषाढ़ 31, 1938

[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 129

[N.C.T.D. No. 129

No. 147]

NEW DELHI, FRIDAY, JULY 22, 2016/ ASADHA 31, 1938

भाग—IV PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

शहरी विकास विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 21 जुलाई, 2016

सं. फा. 16(506)/श.वि./जल/2015—1221—22.—दिल्ली जल बोर्ड अधिनियम, 1998 (1998 का दिल्ली अधिनियम संख्या 4) की धारा 7 तथा 51 के साथ पिठत धारा 109 की उपधारा (2) के खंड (ड) के अन्तर्गत दिनांक 24 मार्च, 2015 को सक्षम प्राधिकारी के आदेशों के द्वारा अनुमोदित है तथा दिनांक 29 मई, 2015 के पत्र फा. सं.—3/24(11)/2015/आर. आर. के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग द्वारा दी गई सहमित से तथा दिनांक 03 दिसम्बर 2002 की अधिसूचना सं. फा. 16(260)/यू.डी./डब्ल्यू/01/18553 द्वारा अधिसूचित अनुभाग अधिकारी (बागवानी) भर्ती तथा पदोन्नित विनियमों के अधिक्रमण में, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई बातें या हटाये जाने वाली बातों को छोडकर दिल्ली जल बोर्ड में अनुभाग अधिकारी (बागवानी) के पद की भर्ती पद्धित संबंधी दिल्ली जल बोर्ड द्वारा बनाए गए विनियम इसके द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं, अर्थात:—

- 1. **संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ :-** (क) इन विनियमों को **अनुभाग अधिकारी (बागवानी)** के पद के भर्ती तथा पदोन्नित विनियम दिल्ली जल बोर्ड, 2016 कहा जाए।
- 2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण पे बैण्ड, ग्रेड पे / वेतनमान :-** उक्त पद की संख्या, इनका वर्गीकरण पे बैण्ड, ग्रेड पे तथा उससे संलग्न वेतनमान इन विनियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम 2 से 4 में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।
- 3. **भर्ती पद्धित, आयु सीमा तथा अन्य योग्यताएं :—** उक्त पद की भर्ती पद्धित, आयु सीमा, योग्यताएं एवं इससे संबंधित अन्य मामलें उक्त अनुसची के कॉलम 5 से 13 में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।
- 4. अयोग्यता :- ऐसा कोई भी व्यक्ति,
 - (क) जो किसी व्यक्ति के जीवित पति / पत्नी के होते हुए विवाह करता है या विवाह का अनुबंध करता है, या
 - (ख) जो एक जीवित पति / पत्नी के होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह कर चुका है या विवाह अनुबंध कर चुका है, वह उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

3690 DG/2016 (1)

शर्त यह है कि सरकार संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति एवं विवाह के अन्य पक्षकार पर लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत है और इस बात से संतुष्ट हो जाने पर कि ऐसा करने के लिये विशेष आधार है / हैं किसी भी ऐसे उम्मीदवार को इस नियम के प्रवर्तन की छूट दे सकेगा।

- 5. शिथिल करने की पिक्त :-जहां राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, तो वह कारणों को अभिलिखित करते हुए संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से आदेश द्वारा व्यक्तियों / पदों को किसी श्रेणी या वर्ग के संबंध में इन नियमों के उपबंध में से किसी को भी शिथिल कर सकेंगे।
- 6. **बचाव:** इन विनियमों की किसी भी बात का सरकार द्वारा इस संबंध में समय—समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिये उपबन्धित किये जाने के लिये आरक्षण अपेक्षित आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुसूची

| 1. | पदनाम | : | अनुभाग अधिकारी (बागवानी) |
|-----|--|---|---|
| 2. | पदों की संख्या | : | 18 (2016) |
| | | | इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर। |
| 3. | वर्गीकरण | : | श्रेणी ''ख'' |
| 4. | पे बैंड एवं ग्रेड पे /वेतनमान | : | वेतन समूह-2 में 9300-34800 / -रुपये (ग्रेड पे 4200 / -रुपये) |
| 5. | क्या चयन पद है या गैर चयन पद | : | चयन |
| 6. | सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु | : | 30 वर्ष से अधिक नहीं |
| | सीमा | | नोट 1:— केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी आदेशों या अनुदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों तथा दिल्ली जल बोर्ड के कर्मचारियों के लिए 5 वर्ष तक शिथिलनीय । |
| | | | नोट 2:— आयु सीमा निर्धारित करने के लिए मान्य तारीख वही होगी जो भारत में रह रहे उम्मीदवारों के आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि है तथा असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू व कश्मीर राज्य की लद्दाख सब डिवीज़न, हिमाचल प्रदेश का लाहौल व स्पीति जिला तथा चंबा जिले की पांगी सब डिवीज़न व अण्डमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षदीप के उम्मीदवारों के लिए निर्धारित अंतिम तारीख नहीं है। |
| 7. | सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएँ | : | अनिवार्य :— (1). किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से कृषि में उपाधि अथवा वनस्पति विज्ञान विषय सहित विज्ञान में उपाधि (2). सजावटी बागवानी, भू दृश्य निर्माण तथा उद्यानकर्म के क्षेत्र में दो वर्ष का अनुभव नोट 1:— अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले में लिखित में कारणों को अभिलेखबद्ध करते हुए योग्यताएं सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर शिथिलनीय है। नोट 2:— यदि चयन की किसी अवस्था में संघ लोक सेवा आयोग के अभिमत से अनुसूचित जाति/जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्त पदों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले इन जातियों के उम्मीदवारों के पर्याप्त संख्या में मिलने की संभावना नहीं है, तो अनुभव संबंधी योग्यताएं सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर शिथिलनीय है। |
| 8. | क्या सीधी भर्ती के लिये अपेक्षित आयु एवं शैक्षिक योग्यता पदोन्नित के मामले में भी लागू होगी। | : | आयु : नहीं शैक्षिक योग्यता : नहीं |
| 9. | परीवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो | : | दो वर्ष |
| 10. | भर्ती की पद्धित सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नित या प्रतिनियुक्ति या विलयन द्वारा विभिन्न पद्धितयों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत | : | (1). 50 प्रतिशत पदोन्नित द्वारा जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा दोनों के न होने पर सीधी भर्ती द्वारा (2) 50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा |
| 11. | यदि पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / विलयन द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / विलयन किया जाना है | : | पदोन्नितः— ग्रेड में 18 वर्ष की नियमित सेवा सहित 1900/—रुपये ग्रेड पे सहित 5200—20200/—रुपये, पे बैंड—1 के वेतनमान में गार्डन चौधरी। टीप 1:— जिन कनिष्ठ अधिकारियों ने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है वे |

| | | | पदोन्नति के लिए विचारणीय है। उनके वरिष्ठ अधिकारी भी पदोन्नति के लिए विचारणीय होंगे वशतें कि उनके लिए अपेक्षित अर्हक / पात्रता सेवा ऐसी अपेक्षित अर्हक / पात्रता सेवा की अविध के आधे सं न्यून या दो वर्ष सं कम न हो और उन्होंने आगामी उच्च ग्रेड पर पदोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अविध अपने किन्छ अधिकारियों के साथ सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो, जिन्होंने (किन्छ अधिकारी) उतनी अर्हक / पात्रता पहले ही पूरी कर ली है। टिप 2:— पदोन्नित के लिये न्यूनतम अर्हक सेवा की गणना के प्रयोजन के लिये 01.01.2006 से पहले किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा जिस तिथि से छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों पर आधारित लागू सम्बद्ध ग्रेड पे / वेतनमान में की गई सेवा मान ली जाएगी। प्रतिनियुक्ति के त्या मान ली जाएगी। प्रतिनियुक्ति के उपरांत ग्रेड में छः वर्ष की सेवा सहित अधिकारी:— क. (1) मूल संवर्ग / विमाग में नियमित आधार पर समरूप पदधारण करने वाले; अथवा (2) पे बेंड—1 में 5200—20,200 रूठ, ग्रेड पे 2800/—रुपये सिहत ग्रेड में नियमित आधार पर नियुक्ति के उपरांत ग्रेड में छः वर्ष की सेवा सहित या मूल संवर्ग / विमाग में समकक्ष (3) पे बेंड—1 में 5200—20,200 रूठ, ग्रेड पे 2400/—रुपये सिहत ग्रेड में नियमित आधार पर नियुक्ति के उपरांत ग्रेड में छः वर्ष की सेवा सहित या मूल संवर्ग / विमाग में समकक्ष (ख) कॉलम सात के अन्तर्गत सीधी भर्ती वालो के लिए शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव रखने वाले:—टिप 1: भरक श्रेणी के विमागीय अधिकारी जो कि पदोन्नित की सीधी श्रृखंला में है वे प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु विचारणीय नहीं होंगे। टिप 2 केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठ—/विमाग में इस नियुक्ति से तुरन्त पूर्वधारित किसी अन्य गैर संवर्ग पद में प्रतिनियुक्ति एर नियुक्ति हेतु विचारणीय नहीं होंगे। टिप 2 केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठ—/विमाग में इस नियुक्ति की अविध भी सिम्मिलत है। यह सामान्यतः तीन वर्षों से अधिक नहीं होंगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु विचारणीय नहीं होंगे। टिप 2 केन्द्रीव पर स्थानत्तरा पर अपोजन के लिये 01.01.2006 (जिस तिथि से छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों पर आधारित संशोधित तेन संस्वात्यों पर आधारित संशोधित तेन मान ली जाएगी। जहीं से विपनमान में की यह विध वेतनमान सिहत एक ग्रेड में विचा जा चुका है, और जहां ये लाम उस/उन पद पर पर्ते के वि |
|-----|--|----|---|
| 12. | यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो | : | प्रतिस्थापन (रिप्लेसमेंट) ग्रेड है। ''ख' वर्गीय विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति पर विचारार्थ) |
| | तो इसकी संरचना क्या है? | | निदेशक (ए एण्ड पी) — अध्यक्ष उप निदेशक (बागवानी) — सदस्य सहायक आयुक्त — सदस्य ''ख'' वर्गीय विभागीय स्थाईकरण समिति (स्थाईकरण पर विचारार्थ) निदेशक (ए एण्ड पी) — अध्यक्ष उप निदेशक (बागवानी) —सदस्य सहायक आयुक्त — सदस्य |
| 13. | वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है। | •• | प्रतिनियुक्ति पर किसी अधिकारी की नियुक्ति करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक है। |
| | <u>l</u> | | राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार |

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के आदेश से तथा उनके नाम पर,

आर. सी. केसरवानी, सहायक निदेशक (जल)

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT NOTIFICATION

Delhi, the 21st July, 2016

No. 16(506)/UD/W/2015/1221-22.—The following Recruitment regulation made by the Delhi Water Board under clause(m) sub-section (2) of section 109 read with sections 7 and 51 of the Delhi Water Board Act, 1998 (Delhi Act. No. 4 of 1998) approved vide Competent Authority orders dated 24.03.2015 and concurred by the Union Public Service Commission vide letter F. No. 3/24(11)/2015-RR dated 29.05.2015 and in supersession of the Section Officer (Horticulture) recruitment and promotion regulations notified vide notification No. F. 16(260)/UD/W/01/18553 dated 03.12.2002, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the regulations for the recruitment to the post of Section Officer (Horticulture) in the Delhi Water Board, Delhi are hereby published, as following namely:-

- 1. Short title and commencement These Regulations may be called the Section Officer (Horticulture) in Delhi Jal Board Recruitment and promotion Regulation, 2016.
- 2. Number of posts, Classification pay band and Grade Pay/scale of pay The number of posts, their classification and pay band and Grade Pay/ scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these regulations.
- 3. Method of recruitment, age limit and other qualifications -The method of recruitment, age, limit, qualifications and other matters relating to the said posts, shall be as specified in columns 5 to 13 of the said Schedule.
- **4. Disqualifications** No person
 - (a) Who has entered or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
 - (b) Who having a spouse living, has entered into or contracted marriage with any person.
 - shall be eligible for appointment to any of the posts:

Provided that Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any persons from the operation of this regulation.

- **5. Power to Relax** Where the Government of National Capital Territory of Delhi is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, and for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rule with respect to any class or category of persons.
- 6. **Saving -** Nothing in these regulations shall affect reservations, and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

| Name of the | Number | Classification. | Pay | Whether | Age limit for direct | Educational and other |
|-----------------|------------|-----------------|---------|------------|------------------------|-----------------------------|
| post. | of post. | | Band | Selection | recruits. | qualification required for |
| | | | and | post or | | direct recruits. |
| | | | Grade | non- | | |
| | | | Pay/Pay | selection | | |
| | | | Scale. | post. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Section | 18 (2016) | Category 'B'. | PB -2 | Selection. | Not exceeding 30 | Essential :- |
| Officer | Subject to | | Rs. | | years. | |
| (Horticulture). | variation | | 9300- | | | (i) Degree in Agriculture |
| | dependent | | 34,800 | | Note:1- Relaxable for | or Degree in Science with |
| | on | | /- Plus | | government servants | Botany as a subject from a |
| | workload. | | Grade | | and employees of | recognized University |
| | | | pay Rs. | | Delhi Jal Board up to | /Institute; and |
| | | | 4200/- | | five years in | |
| | | | | | accordance with the | (ii) Two year experience in |
| | | | | | instructions or orders | the field of ornamental |
| | | | | | issued by the Central | horticulture, landscaping |
| | | | | | Government. | and gardening. |

| | | Note 2:- The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pardesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, | Note1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Competent Authority, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified. Note 2: The qualification (s) regarding experience is/ |
|--|--|---|--|
| | | | |
| | | | <u> </u> |
| | | | |
| | | | otherwise well qualified. |
| | | | Note 2: |
| | | | |
| | | , , | 1 |
| | | Tripura, Sikkim, | are relaxable at the |
| | | Ladhakh Division of | discretion of the |
| | | J&K State Lahaul & | Competent Authority, for |
| | | Spiti District and | reasons to be recorded in |
| | | Pangi Sub-Division of | writing in the case of |
| | | Chamba District of | candidates belonging to |
| | | Himachal Pardesh, | Scheduled Castes or |
| | | Andaman & Nicobar | Scheduled Tribes if at any |
| | | Islands or | stage of selection the |
| | | Lakshadweep). | Competent Authority, is of |
| | | | the opinion that sufficient number of candidates from |
| | | | these communities |
| | | | possessing the requisite |
| | | | experience are not likely to |
| | | | be available to fill up the |
| | | | vacancies reserved for |
| | | | them. |
| | | | |
| | | | |

| Whether age and educational | Period of probation | Method of recruitment whether | In case of recruitment by Promotion/deputation/absorption, grades from which |
|--|---------------------|---|---|
| qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees. | if any. | by direct recruitment, or by promotion or by deputation/ absorption and % of the vacancies to be filled by various methods. | promotion/deputation/ absorption to be made. |
| 8 | 9 | 10 | 11 |
| Age - No Education Qualifications - No | 2 years. | 50% by Promotion failing which by deputation failing both by direct recruitment. 50% by direct recruitment. | Promotion: Garden Choudhary in the scale of pay of Rs. 5200-20200 with Grade pay of Rs. 1900 in Pay Band 1 with 18 years' regular service in the grade. Note 1:-Where juniors who have completed their qualifying/ eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service, or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service. |

Note 2: For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1.1.2006, the date from which the revised pay structure based on the 6th CPC recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding pay/pay scale extended based on the recommendations of the pay commission.

Deputation:-

Officers under the Central/State Governments/Union Territories:-

- (A) (i) Holding analogous post on regular basis in the parent cadre/ department:; OR
- (ii) With six years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the scale of pay of Rs. 5200-20200 with Grade pay of Rs. 2800/- in Pay Band 1 or equivalent in the parent cadre/department; OR
- (iii) With Ten years' service in the grade rendered after appointment there to on a regular basis in the scale of pay of Rs. 5200-20200 with Grade pay of Rs. 2400/- in Pay Band 1 or equivalent in the parent cadre/ department;

AND

(B) Possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column 7

Note 1:

The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

Note 2:

Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/ department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.

The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of applications.

Note 3:

For the purpose of appointment on deputation, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1.1.2006 /the date from which the revised pay structure based on the 6th CPC recommendation has been extended) shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay/pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay/pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay/pay scale

| | | is | the | normal | replacement | grade | without | any | up |
|--|--|-----|--------|--------|-------------|-------|---------|-----|----|
| | | gra | idatio | on. | | | | | |

| If a Departmental Promotion Committee exists, what is its | Circumstances in which Union Public Service |
|---|---|
| Composition. | Commission is to be consulted in making |
| • | recruitment. |
| 12 | 13 |
| Category 'B' Departmental Promotion Committee (For | Consultation with Union Public Service |
| considering promotion): | Commission necessary while appointing an |
| 1 Director (A 9 D) Chairman | officer on deputation. |
| 1. Director (A&P) -Chairman | |
| 2. Dy. Dir. (Horticulture) — Member | |
| 3. Asstt. Commissioner — Member | |
| | |
| Category 'B' Departmental Confirmation Committee (For | |
| considering confirmation): | |
| | |
| 1. Director (A&P)—Chairman | |
| 2. Dy. Director (Horticulture) — Member | |
| 3. Asstt. Commissioner — Member | |

By Order and in the Name of Government of National Capital Territory of Delhi, R. C. KESARWANI, Asstt. Director (W)

١